न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक आर.एन./7–2/आर/890/93 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–9–93 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 217/92–93/अपील.

रतनलाल पिता बाबूलाल
निवासी 71/ए महाकालेश्वर सिंधी कॉलौनी
आर.टी.ओ. ऑफिस के सामने, उज्जैन .....आवेदक

विरूद्ध

1– जमनालाल पिता भेरूलाल
2– दामोदर पिता भेरूलाल
निवासीगण ग्राम भगोरा
तहसील महू जिला इंदौर .....अनावेदकगण

श्री योगेश वर्मा, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/12/13 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–9–93 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अतिरिक्त तहसीलदार महू के प्रकरण कमांक 20/अ–6/91–92 में पारित आदेश दिनांक 25–6–92 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी महू जिला इंदौर के समक्ष प्रथम प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–8–93 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–9–93 को अपील ग्राह्य योग्य

न होने से निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता अथवा गुण–दोष पर तर्क नहीं सुने गये थे, केवल स्थगन आवेदन पत्र पर ही तर्क सुने गये थे, फिर भी उनके द्वारा बिना अभिलेख बुलाये, गुण–दोष पर तर्क सुने बिना अपील निरस्त की गई है, जो कि परव्हर्स, पक्षपातपूर्ण, अन्यायर्ण एवं अवैधानिक कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53–ए को नहीं समझने में भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत नामांतरण का अधिकार केवल स्वत्व अर्जित होने के उपरांत ही प्राप्त होता है और अनावेदक पक्ष का प्रश्नाधीन भूमि पर उनका स्वत्व होने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा केवल कब्जे के आधार पर नामांतरण स्वीकृत करने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि राजस्व न्यायालय को कब्जे के आधार पर स्वत्व निर्धारण करने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार केवल व्यवहार न्यायालय को प्राप्त है । तर्कों के समर्थन में 1991 आर.एन. 103 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

3/ अनावेदकगण पूर्व से एकपक्षीय है ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रकरण में मात्र स्थगन पर सुनकर अपील अग्राह्य की है, जबकि संहिता के तहत पक्षकारों को दो अपील का अधिकार प्राप्त है । ऐसी स्थिति में समय बाह्यता/क्षेत्राधिकार जैसे वैधानिक बिन्दुओं को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील का निराकरण प्रकरण में आई साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए । अभिलेख के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा भूमिस्वामी की भूमि बिना किसी वैध स्वत्व अंतरण दस्तावेज के अनावेदकगण के पक्ष में नामान्तरण स्वीकार किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं है, जिस पर बिना विचार किये तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण अपर आयुक्त को

इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधार पर नहीं कर, गुण–दोष के आधार पर किया जाये ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–9–93 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में गुण–दोष के आधार पर निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर